



उत्तर प्रदेश शासन

उत्तर प्रदेश के पिछड़ी जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र

जिला
लखीम
आवेदन क्र०
प्रमाणपत्र क्र०

मुरादाबाद
मुरादाबाद
4033100011457
040331503408

जारी दिनांक: 27/05/2015

प्रमाणित किया जाता है कि
पुरुषपुरी
मियादी
वाम
लखीम
जिला

श्री राजेश
श्री राजेश कुमार
रमेश मंग इन्द्रा मंग रीम
मुरादाबाद
मुरादाबाद



उत्तर प्रदेश राज्य की कुलकुल जाति के व्यक्ति हैं। यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 1955 की अनुसूची एक के अनुसार सम्मिलित है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेश पुरुषपुरी अधिनियम 1993 (यथा संशोधित) की अनुसूची 2 (जिस कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम 2004 द्वारा परिष्कारित किया गया है) की ओर 3-4 लोक सेवा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम 2004 एवं राजपत्र संख्या 22/10/92 टी० सी० 11, दिनांक 20 अक्टूबर 2004 द्वारा संशोधित की गई है, से आरक्षणित नहीं है। इसके सम्बन्धित की विवरण तीन वर्षों की अवधि के लिए प्रत्येक वर्षिक आय प्राप्त लाभ रुपये का इससे अधिक नहीं है तथा इसके पास कम से अधिनियम 1955 में तब विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति नहीं है।



जारी करी केन्द्र:
पद
उपनाम
दिनांक
हस्ताक्षर एवं मुहर

सीएमएस जन सेवा केन्द्र
ओमपाल सिंह गढ़ी सीमा केन्द्र प्रमोद
पट्टी सीमा, कौल, जयसिंह, मुरादाबाद
27/05/2015

Digitally Signed by:
RAJESH
CHANDRA
(20150527150000)

सहाय अधिकारी/लखीमपुर
डिजिटल हस्ताक्षरित
मुरादाबाद, मुरादाबाद
दिनांक: 27/05/2015

यह प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक सिस्टमों के माध्यम से जारी किया गया है। यह प्रमाण पत्र केवल जाति के सिद्धि सिद्धि के लिए प्रमाणित है एवं अन्य किसी भी अन्य प्रमाणित के लिए प्रमाणित नहीं करता। इसका उपयोग केवल जाति के लिए है। यह प्रमाण पत्र केवल जाति के लिए प्रमाणित है एवं अन्य किसी भी अन्य प्रमाणित के लिए प्रमाणित नहीं करता। इसका उपयोग केवल जाति के लिए है।